संख्या-49/2021/813/सैंतीस-2-2021-1(2)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 अप्रैल, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2662/बजट/29(5)/30/13/2021-22, दिनांक-31.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-109871.08 लाख (रूपये दस अरब अट्ठानबे करोड़ इक्हत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**धनराशि (लाख में)**
लेखा शीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय	
01- वेतन	82968.68
03- महगाई भत्ता	24890.60
06- अन्य भत्ते	25.00
55- मकान किराया भत्ता	1986.80
योग-	**109871.08**

(रूपये दस अरब अट्ठानबे करोड़ इक्हत्तर लाख आठ हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
3. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0-49/2021/813(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in